



No.: CBSE/CTET/2021

Date: 21.06.2021

PUBLIC NOTICE

The National Council for Teacher Education (NCTE) vide letter No. NCTE-Reg1011/78/2020-US(Regulation)-HQ/99954-99992 dated 09.06.2021 has informed that the second sentence of para 11 of its letter no. 76-4/2010/NCTE/Acad. dated 10/02/2011 which is "The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment shall be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories." shall be substituted by, "The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment, unless otherwise notified by the appropriate Government, would remain valid for life."

Accordingly, the instructions at serial no. 1 printed on CTET Marks Statement and CTET Eligibility Certificate which is "The validity period of CTET certificate for appointment for all categories will be seven years from the date of issue of marks statement or the validity period of CTET qualifying certificate for all categories will be seven years from the date of issue." are substituted by "The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment, unless otherwise notified by the appropriate Government, would remain valid for life."

Hence, the CBSE shall not issue any revised Marks Statement and CTET Eligibility Certificates pertaining to previous examinations of CTET.

DIRECTOR (CTET)







सीबीएसई/सीटीईटी /2021

दिनांक:21.06.2021

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने पत्र संख्या एनसीटीई- Reg1011/78/2020-US(Regulation)-HQ/99954-99992 दिनांक 09.06.2021 के माध्यम से सूचित किया है कि पत्र संख्या 76-4/2010/NCTE/Acad. दिनांक 10/02/2011 का पैरा 11 दूसरा वाक्य जो है "नियुक्ति के लिए टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि उपयुक्त सरकार द्वारा सभी श्रेणियों के लिए अधिकतम सात वर्ष के अधीन तय की जाएगी।" को "नियुक्ति के लिए टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि, अन्यथा जब तक कि उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया जाता है, जीवन भर के लिए वैध रहेगा।" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

तद्नुसार, सीटीईटी मार्क्स स्टेटमेंट और सीटीईटी पात्रता प्रमाण पत्र पर छपा हुआ क्रमांक सं. 1 है जो है "सभी श्रेणियों के लिए नियुक्ति हेतु सीटीईटी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि अंक विवरण जारी होने की तिथि से सात वर्ष होगी या सभी श्रेणियों के लिए सीटीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि जारी होने की तारीख से सात वर्ष होगी।" को "नियुक्ति के लिए टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि, अन्यथा जब तक कि उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया जाता है, जीवन भर के लिए वैध रहेगा।" द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

इसलिए, सीबीएसई सीटीईटी की पिछली परीक्षाओं से संबंधित कोई संशोधित अंक विवरण और सीटीईटी पात्रता प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा।

निदेशक (सीटीईटी)

